संख्या– 685/पांच–5–2020

प्रेषक,

वी0 हेकाली झिमोमी,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1– समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2– समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 **लखनऊ दिनॉक 23 मार्च, 2020**

विषयः–कोविड–19 की रोग के संबंध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि कतिपय जनपदों में प्रशासनिक अधिकारियों एवं जन प्रतिनिधियों द्वारा मास्क, सेनेटाइजर डिसइनफेक्टेन्ट आदि उपलब्ध कराये जाने एवं आई0सी0एम0आर0 के दिशा–निर्देशों के इतर अन्य व्यक्तियों की जांच कराये जाने हेतु मुख्य चिकित्साधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों पर दबाव बनाया जा रहा है।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 की बीमारी के संबंध में उपलब्ध लॉजिस्टिक्स मांग की तुलना में सीमित है, जिसे जरूरत मन्द व्यक्तिों को ही उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। अतः यह सुनिश्चित करे कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों पर आई0सी0एम0आर0 के दिशा–निर्देशों के इतर अन्य व्यक्तियों की जांच कराये जाने तथा अन्य लॉजिस्टिक्स हेतु अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। कृपया इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाए।

भवदीय,

(वी0 हेकाली झिमोमी)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 685 (1)/पॉच–5–2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–21फ/सं0रो0/2020/2142 दिनांक 23.03.2020 के संदर्भ में।

2–निदेशक, संचारी रोग, उ0प्र0।

आज्ञा से,

23/3/2020

(शत्रुन्जय कुमार सिंह)
विशेष सचिव।

vk sir.go-com4